

कार्यालय गाजियाबाद नगर निगम

-: सार्वजनिक सूचना :-

शासन द्वारा जारी शासनादेश सं0-1075/नौ-5-2018-93सा/2018 दिनांक 02.04.2018 एवं अपर निदेशक, क्षेत्रीय नगर एवं पर्यावरण अध्ययन केन्द्र, लखनऊ (आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार) के पत्र सं0-URC/1161/24/2018-19 दिनांक 13.11.2018 के द्वारा गाजियाबाद नगर निगम सीमान्तर्गत स्थित आवासीय /अनावासीय भवनों के जी0आई0एस0/पी0टी0एम0एस0 सामान्य सर्वे नगर निगम अधिनियम 1959 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत सर्वे का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है। वर्तमान तक कुल 100 वार्डों में 96 वार्डों का सर्वे का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा 04 वार्डों में कार्य प्रगति पर है तथा कुल 44 वार्डों में नगर निगम व कार्यदायी फर्म के द्वारा संयुक्त रूप से मैचिंग/सत्यापन का कार्य पूर्ण कर लिया गया है तथा शेष वार्डों में मैचिंग/सत्यापन का कार्य कराया जा रहा है।

नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा 207 में दिये गये प्राविधानों के अन्तर्गत कुल 17 निम्न वार्डों की सत्यापित सूची का प्रकाशन कराया जा रहा है, जिसकी प्रभावी तिथि दिनांक 01.04.2022 से प्रारम्भ होगी।

जोन का नाम	वार्ड संख्या	वार्ड का नाम	जोन का नाम	वार्ड संख्या	वार्ड का नाम
सिटी जोन	11	नन्दग्राम दीनदयालपुरी	मोहननगर जोन	29	कुटी
	49	नन्दग्राम मरियमनगर		34	शहीदनगर प्रथम
	17	सेवानगर हिण्डनविहार		90	शहीदनगर द्वितीय
	50	सदडीकनगर नूरनगर	वसुन्धरा जोन	21	भौवापुर
कविनगर जोन	30	सदरपुर गोविन्दपुरम		57	मकनपुर
	42	शाहपुर बम्हैटा		98	अहिंसा खण्ड
	46	दुहाई गुलधर			
	24	महरोली			
विजयनगर जोन	14	न्यू विजयनगर			
	48	मिर्जापुर			
	27	डून्डाहैडा			

उपरोक्त वार्डों का सत्यापित सूची का प्रकाशन नगर निगम के संबंधित जोनल कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर तथा नगर निगम की वेबसाईट <http://ghaziabadnagarnigam.in> पर उपलब्ध है। संबंधित भवनस्वामियों/अध्यासियों/करदाताओं के द्वारा प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर यदि कोई आपत्ति हो तो संबंधित जोनल कार्यालय व नगर निगम मुख्यालय स्थित मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय कक्ष सं0-07 में प्राप्त कराया जा सकता है।

(महेन्द्र सिंह तंवर)

आई0ए0एस0

नगर आयुक्त
गाजियाबाद नगर निगम

१२